

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

ओम प्रकाश पिता जगदेव मीणा निवासी टीकड

बनाम

रामसिंह पिता छोटु लाल मीणा निवासी गोरमगड बगैरह

किस्म नुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

नुकदमा नंबर 389/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही नय इनिशियल्स अज | नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म की शर्तों में जारी हुई |
|-------------|--|--|
| 20/05/2024 | <p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम टीकड प.ह. टीकड आराजी सं. 2458, 3751/224, 3754/225 03 कुल किता 11 रकबा 1.7321 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम टीकड प.ह. टीकड आराजी सं. 2458, 3751/224, 3754/225 03 कुल किता 11 रकबा 1.7321 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 200रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 20/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/380/2024


दिनांक- 20/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 380/2024 ओम प्रकाश पिता जगदेव मीणा निवासी टीकड, बाबूलाल पिता जगदेव मीणा निवासी टीकड, शोभाग पिता जगदेव मीणा निवासी टीकड, हुक्मसिंह पिता जगदेव मीणा निवासी टीकड, हेतराज पिता जगदेव मीणा निवासी टीकड बनाम रामसिंह पिता छोटु लाल मीणा निवासी गोरमगड, जगदीश पिता गोपीसिंह मीणा निवासी जहाजपुर, भँवर सिंह पिता रामकिशन मीणा निवासी केसरपुरा, गोपाल पिता भीमाराम मीणा निवासी टीकड, ओम प्रकाश पिता केसर मीणा निवासी टीकड, भँवर पिता जगनाथ मीणा निवासी टीकड, खेमराज पिता देवाराम मीणा निवासी टीकड, प्रहलाद पिता श्रीलाल मीणा निवासी टीकड, सोजी पिता छोटु मीणा निवासी टीकड, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम टीकड प.ह. टीकड आराजी सं. 2458, 3751/224, 3754/225 03 कुल किता 11 रकबा 1.7321 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा